प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन की योजना में पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-29328 हजार की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-237/बजट-आयोजनागत/2016-17 दिनांक 18.01.2017 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-415/ई-1/दस-2017, दिनांक-03.02.2017 पृष्ठांकन संख्या-44/58-2-2017-300(16)/2016 दिनांक-10.02.2017 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-119-04-411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन की योजना में पुर्नविनियोग के माध्यम से प्रस्तावित धनराशि रू0-29328 हजार की व्यवस्था के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधानित धनराशि रू0-200.00 (रूपया दो करोड़ मात्र) लाख के सापेक्ष अब तक रू0-19685 हजार (रूपया एक करोड़ छियानबे लाख पच्चासी हजार मात्र) व्यय कर लिया गया है। व्यय होने के उपरान्त प्रश्नगत मद में मात्र रू0-315.00 हजार की ही धनराशि अवशेष बची है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के कार्यान्वयन की योजना में गत वर्षों में प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों को एस0एल0ई0सी0 सब कमेटी द्वारा स्वीकृत किया गया है उनमें 16 परियोजना प्रस्ताव ऐसे हैं जिनकों अनुदान की द्वितीय, तृतीय अथवा दोनों किस्तों का भुगतान किया जाना है इन 16 संस्थाओं को भुगतान हेतु कुल प्रश्नगत योजना में/मद में धनराशि अवशेष नहीं है। अत: लेखाशीर्षक 2401-119-04-0417-मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0-409605 हजार के सापेक्ष रू0-29328 हजार (रूपया दो करोड़ तिरानबे लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की व्यवस्था पुर्नविनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	अवमुक्त की जा रही रही धनराशि
10	**2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04-फल-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012**			
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**200.00**	**293.28**	**293.28**
	योग-	**200.00**	**293.28**	**293.28**

(रूपया दो करोड़ तिरानबे लाख अठ्ठाईस हजार मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त वित्तीय स्वीकृति में प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।**

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

4- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

6- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

7- उक्त संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

8- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

9- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-2/2017/99(1)/58-2-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in